मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रारंभ में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उद्गार व्यक्त करने पर श्री सज्जन सिंह वर्मा, कुं. विक्रम सिंह "नातीराजा", सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया, पी.सी. शर्मा एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा बधाई दी गई.

अध्यक्ष महोदय ने इस उपलक्ष्य में यह उद्गार प्रकट किए कि "आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. इसलिए मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से इस सदन की सम्मानित महिला सदस्यों एवं प्रदेश, देश, संपूर्ण विश्व की समस्त महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ. यह विधान सभा का गौरव है कि हमारे बीच में श्रीमती रक्षा संतराम सरौनिया, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह, श्रीमती मनीषा सिंह, कुमारी मीना सिंह मांडवे, श्रीमती नंदनी मरावी, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, श्रीमती सुनीता पटेल, श्रीमती लीना संजय जैन, श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह, श्रीमती कृष्णा गौर, श्रीमती गायत्री राजे पवार, श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सुश्री चंद्रभागा किराड़े, सुश्री कलावती भूरिया, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ एवं सुश्री उषा ठाकुर ये सभी सम्मानित महिला सदस्यगण यहां हैं.

हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान सदैव ही ऊँचा रहा है. हमारे ग्रंथों में इस तरह के तमाम वर्णन हैं. हमारी परम्पराएं तथा लोकाचार यह सिखाता है कि नारी के प्रति आदर, सम्मान, श्रृद्धा, कृतज्ञता का भाव हमेशा रहना चाहिए. आज महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं. समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान है. उनकी भूमिका है. अपने गुणों के आधार पर वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होकर स्वयं के, समाज के और राष्ट्र के विकास में महति भूमिका का निर्वहन और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं. मैं आशा करता हूँ कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप भविष्य में भी सफलता के लिए प्रतिमान स्थापित करने में सफल होंगी. एक बार पुन: देश दुनिया की आधी आबादी को उनके सुनहरे, वर्तमान तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ तथा महिला दिवस पर अभी सदन में आपने देखा कि हमारी महिला मार्शल अधिकार दंड के साथ यहां आईं हैं, इस बात का अवसर पहली बार दिया गया है.

अब मैं सदन के संचालन के लिए सभापति तालिका की सदस्या श्रीमती झूमा सोलंकी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और सदन का संचालन करें. चूँकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, अत: मेरी तमाम माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जब महिला सदस्य आसंदी पर बैठेंगी, तो आज उस तरह की कोई स्थिति निर्मित न हो, जिससे प्रदेश के भीतर गलत संदेश जाए. अब मैं श्रीमती झूमा सोलंकी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आसंदी ग्रहण करें, प्रश्नकाल चलाएं और अन्य भी सदन के संचालन का जो काम है, आज उनके हाथों में सौंपता हूँ".

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 122 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) विधानसभा के अंदर मंत्रिगण एवं सदस्यगण का अलग-अलग दरवाजे से प्रवेश करना

श्री जितु पटवारी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा एवं डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश के इतिहास में सदन के अन्दर मंत्रीगण अलग द्वार से आयेंगे और विधायकगण दूसरे द्वार से आयेंगे. जबकि पहले दोनों एक ही द्वार से आया करते थे. यह दोहरी नीति नहीं होना चाहिए. जो एक तरह से विधायकों का अपमान है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि यह व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने की है क्योंकि विधायकों को लंच समय तक काफी देर तक रूकना पड़ता था. लोकसभा की व्यवस्था के अनुसार यहां किया गया है. पूर्व में आपकी सरकार के वक्त भी माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों के आने जाने की अलग व्यवस्था होती थी. माननीय विपक्ष के सदस्यगण चाहे तो माननीय अध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं. यह कोई बड़ा विषय नहीं है. आसंदी द्वारा पार्किंग और सुरक्षा गार्ड की भी अलग-अलग व्यवस्था की गई है. आसंदी आपके सुझाव को स्वीकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है.

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.09 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 12.16 बजे पुन: समवेत हुई.

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुईं.

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि प्रश्न सदन के और विधायकों के सम्मान का है और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा. शासन की जिम्मेदारी होती है कि पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सम्मान की रक्षा करें. हमारी यही परम्परा रही है और यह हमें कायम रखनी चाहिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया कि इसमें हमारी सहमति है, असहमति वाली कोई बात नहीं है और मैं भी आपके साथ अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर लूंगा.

(2) दतिया की घटना पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग की जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने यह उल्लेख किया कि डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा दतिया के मामले में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी उस पर हम चर्चा करने को तैयार हैं.

सभापति महोदया ने सूचित किया कि शासन से जानकारी मांगी गई है और अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय लेंगे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा स्थित उद्योगों के ठेका श्रमिकों की कोरोना महामारी की आड़ में उद्योगों से बाहर किये जाने,

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधान सभा अतंर्गत ग्राम पंचायत लिधोराहाट के ग्राम पिपरिया करकट में विद्युत पोलों से लाईन बिछाने में विलंब किये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच स्थित स्टेट हाईवे मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नागदा जक्शन जिला उज्जैन द्वारा पर्यावरण मानकों का घोर उल्लघंन किये जाने,

(5) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले में पेंशन आपके द्वार व्यवस्था अंतर्गत पेंशन वितरण में शासन के नियम निर्देशों का पालन न किये जाने,

(6) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की उप संभाग छतरपुर में तेंदुआ जलाशय परियोजना कार्य 2004 को पुन: प्रारंभ किये जाने,

(7) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की कटनी जिला अंतर्गत स्लीमनाबाद तहसील अंतर्गत आने वाले ग्रामों के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की जौरा विकासखण्ड अंतर्गत सुजानगढ़ी से रजौधा के लिए सड़क एवं क्वारी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(9) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य की रीवा के वार्ड क्रमांक 13 स्थित नाले का पक्का निर्माण न किये जाने तथा

(10) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधान सभा क्षेत्र अतंर्गत कालादेही (बरगी) टीगन (गंगई) एवं मेहगवां (चरगवां) उद्ववहन सिंचाई योजना चरगंवा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(2) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-2020, तथा

(ख) (i) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 52 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

(ii) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

पटल पर रखे.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(3) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तद्नुसार -

(1) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सर्वश्री मनोज चौधरी एवं आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्यगण ने देवास विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा काली सिंध परियोजना के तहत माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना का लाभ न दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

7. भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

8. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) सर्वश्री पी.सी. शर्मा एवं आरिफ मसूद, सदस्यगण ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से विस्थापितों का व्यवस्थापन न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) सर्वश्री सुखदेव पांसे एवं रामेश्वर शर्मा, सदस्यगण ने बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में भू-जल स्तर गिरने की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने सागर स्थित बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों को सुपरस्पेशियलिटी सुविधा न मिलने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(2) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)
(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(4) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(5) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(7) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(8) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(9) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
(10) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-अनूपपुर)
(11) श्रीमती कृष्णा गौर (जिला-भोपाल शहर)
(12) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(13) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(14) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(15) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(16) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(17) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(18) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(19) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(20) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(21) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(22) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(23) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(24) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(25) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(26) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(27) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी (जिला-खरगोन)
(28) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(29) श्री विशाल जगदीश पटेल (जिला-इंदौर)
(30) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(31) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(32) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(33) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(34) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(35) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(36) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(37) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(38) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(39) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(40) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-सिंगरौली)
(41) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(42) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(43) श्री राकेश गिरि (जिला-भोपाल शहर)
(44) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)

(45) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(46) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(47) श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया (जिला-सिवनी)
(48) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(49) श्री संजीव सिंह (जिला-भिण्ड)
(50) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(51) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(52) श्री जालम सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(53) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
(54) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(55) श्री सुनील उईके (जिला-छिन्दवाड़ा)
(56) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुईं.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) डॉ. सीतासरन शर्मा
(3) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(5) श्री विनय सक्सेना

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 18 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन के लिए आठ सौ सैंतीस करोड़, ग्यारह लाख, चौसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए एक सौ तैंतीस करोड़, तैंतीस लाख, तैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए आठ हजार छह सौ बाईस करोड़, उनतालीस लाख, चालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसम्पर्क के लिए तीन सौ अट्ठावन करोड़, तिरासी लाख, चौरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 41	प्रवासी भारतीय के लिए नब्बे लाख, तिरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए अठारह करोड़, छत्तीस लाख, आठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए तीन हजार छह सौ उन्यासी करोड़, सत्रह लाख, तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए पांच हजार एक सौ उन्यासी करोड़, उन्नीस लाख, छप्पन हजार रुपये एवं
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए उनतालीस करोड़, सत्ताईस लाख, अठासी हजार रुपये,
	तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री जितु पटवारी
(4) श्रीमती गायत्री राजे पवार
(5) श्री पी.सी. शर्मा
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री सुखदेव पांसे
(8) श्री हरिशंकर खटीक
(9) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(10) श्री देवेन्द्र वर्मा
(11) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

13. बहिर्गमन

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा माननीय विधायकों के प्रति प्रोटोकाल का पालन न किए जाने से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

14. वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(12) श्री शरदेन्दु तिवारी
(13) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन एवं श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 6.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 (18 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 8 मार्च, 2021.